

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों के लिए निर्यात नीति

***318. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंगूर, प्याज और अनार के निर्यात संबंधी नीति में बार-बार होने वाले बदलाव और किसानों और निर्यातकों पर इसके प्रभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के लिए निर्यात नीति में बार-बार बदलाव के क्या कारण हैं तथा एक पूर्वानुमेय और सुसंगत नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) अंगूर, प्याज और अनार के निर्यात को नियंत्रित करने वाले निर्यात प्रोत्साहनों, प्रक्रियाओं और विनियमों का ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्यात प्रक्रिया को सरल और सुकर बनाने हेतु इनकी समीक्षा की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का स्थिर निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विशेषतः नासिक जिले के किसानों और निर्यातकों के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात के समय और लागत को कम करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंगूर, प्याज और अनार के निर्यात को बढ़ावा देने और इन उत्पादों के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा "कृषि उत्पादों के लिए निर्यात नीति" के संबंध में दिनांक 17.12.2024 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 318 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) और (ख) : अंगूर और अनार की निर्यात नीति अक्सर परिवर्तनों के अधीन नहीं है। प्याज के मामले में, जब घरेलू आपूर्ति कम हो जाती है तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने तक निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। वर्ष 2024 में 22 मार्च को सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद, 4 मई 2024 को, 550 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम मूल्य और 40% के अतिरिक्त निर्यात शुल्क के साथ निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया गया। इसके बाद, 13 सितंबर 2024 को, सरकार ने प्याज पर न्यूनतम मूल्य हटा दिया और निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

इसके अलावा, उचित कीमतों पर घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श किया जाता है और सुस्थापित संस्थागत तंत्र, जिसमें प्रमुख हितधारक विभागों का प्रतिनिधित्व होता है के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। नीतिगत हस्तक्षेपों का अंतर्निहित उद्देश्य मांग से अधिक आपूर्ति होने पर किसानों को उचित मूल्य दिलाना और निर्यातकों का अवसर सुनिश्चित करना भी है।

(ग) से (घ): सामान्यतः आयातक देशों द्वारा निर्धारित पादप स्वच्छता आवश्यकताओं और विनियमों का निर्यातकों द्वारा अंगूर, प्याज और अनार सहित बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले अंगूरों को छोड़कर अंगूर, अनार और प्याज के निर्यात के लिए कोई निर्धारित क्रियाविधि नहीं है। यूरोपीय संघ के लिए निर्दिष्ट अंगूरों के लिए निर्यात प्रक्रिया विकसित की गई है और यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अवशेष सीमाओं का पालन करने और सीमा अस्वीकृति की संभावना से बचने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। उपरोक्त प्रक्रिया को लागू करने के लिए, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा खेतों, पैक हाउसों, प्रयोगशालाओं आदि को शामिल करते हुए, एक वेब-आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, ग्रेपेनेथ्स विकसित और कार्यान्वित किया गया है। यह प्रणाली निर्यातकों के लिए खेप के सोर्सिंग, प्रॉसेसिंग, पैकिंग, विश्लेषण और डिस्पैच के लिए प्रत्येक गतिविधि की निर्बाध प्रॉसेसिंग को सक्षम बनाती है। ट्रेसेबिलिटी प्रणाली में किसानों के पंजीकरण के लिए एपीडा द्वारा कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लगाया जाता है।

निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में, भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य दिसंबर 2023 के बाद कृषि वस्तुओं को, जिसमें अंगूर, अनार और प्याज पर सब्सिडी शामिल है, कोई

भी निर्यात सब्सिडी प्रदान नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें माल के विपणन और परिवहन के लिए कोई भी सब्सिडी शामिल है।

नासिक सहित पूरे भारत से अंगूर, प्याज और अनार सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

- i. निर्यात अवसंरचना का विकास
- ii. गुणवत्ता विकास
- iii. बाजार विकास

वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के तहत उपलब्ध है।

विशेष रूप से, अंगूर, अनार और प्याज सहित फलों और सब्जियों जैसे आशुविकारी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इस स्कीम के अन्तर्गत फसल के बाद की हैंडलिंग सुविधाओं के विकास और एकीकृत पैक हाउस, रीफर वाहनों के रूप में कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने और इनहाउस टेस्टिंग सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उपचार सुविधाओं जैसे वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) गर्म जल उपचार (एचडब्ल्यूटी) आदि को भी विशिष्ट फलों और सब्जियों में कीटों के संक्रमण/घटनाओं को कम करने के लिए इस योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है।

सरकार विभिन्न खराब होने वाले उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल के रणनीतिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लंबी दूरी के बाजारों में ताजे फलों और सब्जियों की उच्च मात्रा का निर्यात सक्षम बनाता है। इसके तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसी) सोलापुर के सहयोग से अनार के निर्यात के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकास किया जा रहा है, जो एक बार विकसित और मुख्यधारा में आने के बाद नासिक सहित अनार के किसानों और निर्यातकों को लाभान्वित करेगा।

वाणिज्य विभाग, एपीडा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में नासिक सहित अपने सदस्य निर्यातकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें एशिया फ्रूट लॉजिस्टिक्स (हांगकांग) मेकफ्रूट इटली आदि जैसे फलों और सब्जियों के लिए विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, प्रमुख व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फलों और सब्जियों के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है।
